न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर,

पीठासीन अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. :– 01/2025
जीसीएमएस नम्बर :– 2025/5
प्रार्थी
रघुवीर सिंह पुत्र श्री हनुमान सिह, जाति राजपुत, निवासी नयापुरा औसिया जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. भैरूसिंह पुत्र श्री रामसिंह, जाति राजपुत, निवासी ग्राम नौसर तहसील लोहावट, जिला फलौदी।
2. सरपंच ग्राम पंचायत ओसियां।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 सपठित नियम 302 राज. पंचायत नियम 1996 विरूद्ध पटटा विलेख संख्या 07 मिसल संख्या 476/14.06.2004 जो ग्राम पंचायत ओसियां द्वारा दिनांक 22.11.2004 को अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी किया गया ।

उपस्थिति

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह सिंह राजपुरोहित (अप्रार्थी संख्या 01)।

आदेश **दिनांक :–30.01.2025**

प्रार्थी ने यह पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 सपठित नियम 302 राज. पंचायत नियम 1996 पट्टा विलेख संख्या 07 मिसल संख्या 476/14.06.2004 जो ग्राम पंचायत ओसियां द्वारा दिनांक 22.11.2004 को अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी किया गया को, निरस्त करने बाबत प्रस्तुत की गई। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत ओसियां ने पंचायत राज नियमों के विपरीत जाकर प्रार्थी के पुश्तैनी कब्जे पर अप्रार्थी संख्या 01 को पट्टा विलेख जारी कर दिया जिससे व्यथित होकर प्रार्थी ने यह निगरानी पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2025.02.24 10:46:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये तथा ग्राम पंचायत से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह राजपुरोहित ने वकालतनामा पेश किया गया। ग्राम पंचायत से मूल अभिलेख प्राप्त हुआ। उभयपक्ष अधिवक्तागण की

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

पंचायत निगरानी संख्या 01/2025
जीसीएमएस नम्बर :– 2025/5

बहस दिनांक 24.01.2025 को सुनी जाकर पत्रावली दिनांक 30.01.2025 को आदेश हेतु रखी गई।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र में बतलाया कि प्रार्थी को विवादित पट्टे की जानकारी होने पर प्रार्थी द्वारा पट्टे की नकल दिनांक 10.06.2024 को प्राप्त की गई अर्थात प्रार्थी द्वारा पट्टे की जानकारी से निगरानी अन्दर मियाद प्रस्तुत कर दी गई। प्रार्थी ने निगरानी याचिका अन्दर मियाद शुमार करने की प्रार्थना की।

प्रार्थी ने पंचायत निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में बतलाया कि प्रार्थी ग्राम पंचायत नयापुरा औसिया तहसील ओसिया जिला जोधपुर का स्थाई निवासी है। ग्राम पंचायत ओसियां के सरपंच ने पूर्ण रूप से नियमो के विपरीत जाकर निगरानीधीन पट्टा जारी किया जबकि विवादग्रस्त भूखण्ड पर प्रार्थी का वर्षो से पुश्तैनी कब्जा है एवं आज दिन भी प्रार्थी उक्त भूखण्ड पर काबिज है। सरपंच ग्राम पंचायत ओसियां ने पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायत राज नियमों का पालन नहीं किया, पुराने कब्जा बाबत किसी प्रकार के दस्तावेत प्राप्त नहीं किये। ग्राम पंचायत ओसियां ने अपनी मिसल कार्यवाही में 157 नियम को हाथ से काटकर लिखा है उस स्थान पर सरपंच के लघु हस्ताक्षर नहीं है उससे भी स्पष्ट है कि पट्टा पंचायत राज नियमो के विपरीत है। अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत नौसर का निवासी है ग्राम पंचायत ओसियां का कभी भी स्थायी निवासी नहीं रहा है विवादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कभी भी कब्जा नहीं रहा है अप्रार्थी संख्या 1 ने गलत तथ्य बताकर ग्राम पंचायत ओसियां से मिलकर अपना कब्जा बताया है जो गलत है विवादग्रस्त भू–खण्ड पर प्रार्थी का वर्षो से पुश्तैनी कब्जा है तथा आज दिन भी प्रार्थी उक्त भूखंड पर काबिज है। ग्राम पंचायत द्वारा इतने बड़े क्षेत्रफल का पट्टा जारी किया जाना बताया है जो ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीधीन पट्टे के पड़ौस भी गलत दर्शाए गये है। ग्राम पंचायत ने जिस प्रारूप में पट्टा जारी किया है वह भी स्पष्ट नहीं है तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा करीब 18–20 साल बाद इस विवादित पट्टा का पंजीयन सब रजिस्ट्रार कार्यालय ओसिया में करवाया है जिस पट्टे की परत पर नियम 156 लिखा गया है इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा व रजिस्ट्रेशन के लिए सब रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत पट्टा दोनों अलग–अलग नियम व प्रारूप में है जो आपस में मेल नहीं खाते हैं तथा ग्राम पंचायत की पट्टा मिसल कार्यवाही व

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2025.02.24 10:46:32 IST
Reason: SelfAttested

पट्टा में भारी काट छांट करके बनाया गया है। ग्राम पंचायत ओसियां ने पट्टा जारी करने से पूर्व पुराने कब्जे बाबत किसी प्रकार के दस्तावेज की जांच नहीं की व अप्रार्थी संख्या एक ने कब्जे बाबत पंचायत में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया इसलिए भी उक्त पट्टा निरस्त किए जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या एक का पट्टा जारी करने से पूर्व अध्याय 9 पंचायत राज अधिनियम में वर्णित अन्य नियम जैसे 142 के अनुसार योजना बनाना, नियम 145 के अनुसार आवेदन आमंत्रित करना, नियम 146 के अनुसार मौका स्थल का निरीक्षण करना, नियम 148 के अनुसार नोटिस जारी करना, विक्रय पुष्टि करना व प्रकाशित करना, इस प्रकार की पूर्ण कार्यवाही नहीं की गई ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में पुराने कब्जे के आधार पर पट्टा जारी कर भारी गलती की है जो कमेटी बनाई गई है वह भी सरपंच के पक्ष की थी उसके मौका निरीक्षण नहीं किया और ना ही पड़ोस के लोगों को इस बाबत पूछताछ की वह बयान ही लिए तथा न ही कमेटी ने किसी प्रकार का दस्तावेज रिकॉर्ड पर लिया मौका निरीक्षण की खानापूर्ति केवल कार्यालय में ही बैठकर की गयी।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में आगे बतलाया कि सरपंच ग्राम पंचायत ओसिया ने पुश्तैनी पट्टा बता कर गलत तरीके से पंचायती राज नियमों की अनदेखी करते हुए जारी किया है ग्राम पंचायत के प्रस्ताव में पंचायत नक्शा फार्म पर नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर नहीं है निरीक्षण परिपत्र पर भी तीन हस्ताक्षर हैं जबकि पंचगण रिपोर्ट में पांच व्यक्तियों का होना आवश्यक है मौका रिपोर्ट किसके द्वारा बनाई गई है ऐसा हवाला नहीं है इस प्रकार अप्रार्थी संख्या दो से मिली भगत कर अप्रार्थी 1 के हक में गलत पट्टा जारी किया है जबकि मौके पर प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है जिसकी अनदेखी कर पट्टा बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त पट्टा का नवीनीकरण दिनांक 06.06.2024 को किया गया। जिसमें भी नियमो की भारी अनदेखी की गई है जिस पर प्रार्थी के आवेदन पत्र पर पंचायत समिति ओसिया द्वारा, विकास अधिकारी को मौका निरीक्षण कर जांच बाबत् लिखा जिस पर ग्राम विकास अधिकारी औसिया द्वारा दिनांक 24.06.2024 को रिपोर्ट पेश की गई [illegible] पट्टा में वर्णित नाप व मौके पर स्थित भूखण्ड के नाप में [illegible] होना बताया है। ग्राम पंचायत द्वारा 260 रूपयें में पट्टा जारी किया गया है जबकि ग्राम ओसिया की भूमि की कीमते लाखो रूपयें में है। यदि ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी किया गया होता तो ग्राम पंचायत व सरकार को लाखो रूपये का राजस्व प्राप्त होता अर्थात

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2025.02.24 10:46:32 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

ग्राम पचांयत व अप्रार्थी संख्या 1 ने मिलीभगत कर राजस्व नुकसान की नियत से ग्राम पंचायत द्वारा नियमो से परे जाते हुए हस्तगत पट्टा जारी किया है जो पट्टा खारिज किये जाने योग्य है। दिनाक 10.06.2024 को पट्टा की प्रति प्रार्थी द्वारा प्राप्त की गई इससे पूर्व प्रार्थी को पट्टे की जानकारी नहीं थी इसलिए प्रार्थी की जानकारी से निगरानी अन्दर म्याद प्रस्तुत की जा रही है। बहस के अन्त में निगरानी याचिका स्वीकार कर निगरानीधीन पट्टे को निरस्त करनें की प्रार्थना की। दौराने बहस प्रार्थी द्वारा फॉर्म नं0 03 के साथ रजिस्टर्ड बेचाननामा की फोटोप्रति पेश की गई एवं उसके द्वारा जायदाद खरीदशुदा होना बताया। बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त RRD1998 PAGE NO 319, RRD 1998 PAGE NO 525, RRD 1998 PAGE NO 465 और 1996 AIR 1623 पेश किये गये।

अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह राजपुरोहित ने जवाब प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का पेश कर बतलाया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.11.2004 अर्थात 20 वर्ष पूर्व जारी किये गये पट्टे को निरस्त करने हेतु निगरानी प्रस्तुत की गई है जो म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में बतलाया कि उसको पट्टे की जानकारी दिनांक 10.06.2024 को नकल प्राप्त होने से हुई है इसलिए उसकी निगरानी अन्दर मियाद है परन्तु यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अपने हक में जारी पट्टे में वर्णित जायदाद दिनांक 25.02.1987 को खरीद की गई जिसमें प्रार्थी/निगरानीकार के पिता श्री हनुमानसिंह द्वारा साख डाली गई थी। इसका तात्पर्य यह है कि प्रार्थी एवं उसके पिता को उक्त जायदाद के संबंध में वर्ष 1987 से जानकारी थी। उसके पश्चात् वर्ष 2004 में भी प्रार्थी द्वारा जायदाद खरीदी गई वो भी उक्त पट्टे का हिस्सा है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा दिनांक 13.01.2004 को खरीदशुदा जायदाद में गट्टर निर्माण हेतु ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया तथा मौके पर गट्टर का निर्माण करवाया गया। प्रार्थी ने स्वयं को तथाकथित पट्टे में वर्णित जायदाद का पड़ौसी होना बताया है [illegible] के पिता को उक्त पट्टे की शुरू से ही जानकारी थी फिर भी प्रार्थी [illegible] 20 वर्ष के अत्यधिक विलम्ब से यह निगरानी पेश की है जो मियाद बाहर [illegible] से खारिज योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 01 के अधि[illegible]गुणावगुण बहस में बतलाया कि अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत् पट्टा जारी किया गया। अप्रार्थी

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज.)

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2025.02.24 10:46:32 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 01 द्वारा ग्राम पंचायत में प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि के निरीक्षण के लिए कमेटी गठित की गई। आबादी भूमि के प्रस्तावित विक्रय के सम्बन्ध में आपत्तियां आमन्त्रित करने की सूचना का नोटिस जारी किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट पेश होने के पश्चात एक माह तक उजरदारी आपत्तियां पेश करने हेतु समय दिया गया परन्तु निगरानीकर्ता या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। ग्राम पचांयत द्वारा नक्शा बनाया गया। इससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करते समय पंचायतीराज नियमों की पालना की गई।

अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने बहस में आगे बतलया कि पट्टे में वर्णित जायदाद का एक हिस्सा दिनांक 22.01.2004 को श्रीमती शान्ति देवी से खरीद किया गया था। उस बेचाना एग्रीमेन्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि शान्तिदेवी द्वारा उक्त भूखण्ड में बेचान से पूर्व कमरे का निर्माण कराया गया है तत्पश्चात् निर्माण सहित उक्त जायदाद का बेचान किया गया है एवं अप्रार्थी संख्या 01 को कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। प्रार्थी द्वारा अपने निगरानी में झूठे तथ्य अंकित किये गये है कि उसके द्वारा निर्माण कार्य करवाया हुआ है। इसी प्रकार पट्टे में वर्णित जायदाद का दूसरा हिस्सा अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा दिनांक 25.02.1987 को खिवराज पुत्र राधाकिशनजी से जरिये बेचना इकरार से खरीद किया गया। जिसके पश्चात् उक्त जायदाद के भाग का अप्रार्थी संख्या 01 को बेचान कर उसका भौतिक कब्जा सुपुर्द कर दिया गया था तथाकथित बेचान इकरार में निगरानीकर्ता के पिता हनुमानसिंह की साख डाली हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि निगरानीकर्ता द्वारा अपनी निगरानी में अपना पुश्तैनी कब्जा होना बताया है जो सरासर मनगढंत एवं झूठे तथ्य है। निगरानीकर्ता द्वारा अपने कब्जे के संबंध में कोई भी दस्तावेज एवं फोटोग्राफ्स पेश नहीं किये गये है जिससे यह स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता का विवादित आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा। दिनांक 25.02.1987 के बेचना इकरार के अनुसार खिंवराज का कब्जा वर्ष 1975 से विवादित भूखण्ड पर रहा है एवं वर्ष 1987 के पश्चात अप्रार्थी संख्या 01 को कब्जा हस्तान्तरित किया गया तब से आज दिनांक तक अप्रार्थी संख्या 01 बतौर मालिक काबिज रहा है।

निगरानीकर्ता द्वारा मौखिक बहस एवं रजिस्टर्ड बेचाननामें की फोटोप्रति पेश की गई जिसके खण्डन में अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा बतलाया गया कि बेचाननामें में वर्णित जायदाद विवादित जायदाद से भिन्न है जिसके

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज.)

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2025.02.24 10:46:32 IST
Reason: SelfAttested

आस–पड़ौस भी मेल नहीं खाते है। उनके द्वारा यह भी बतलाया गया कि निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत बेचाननामें में वर्णित जायदाद का पट्टा ग्राम पंचायत ओसियां द्वारा जारी पट्टा संख्या 14 मिसल संख्या 34 सन् 1969–70 का जारी है जो जायदाद निलामी से खरीद की हुई है जबकि निगरानीकर्ता द्वारा ऐसा कोई पट्टा व निलामी से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। निगरानीकर्ता द्वारा अपनी निगरानी में विवादित जायदाद को पुश्तैनीं होना बताया है जबकि उपरोक्त दस्तावेज में उसके द्वारा जायदाद खरीदशुदा होना बताया जा रहा है जिससे स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता ने उक्त पंचायत निगरानी झूठे तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की है एवं निगरानीकर्ता न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से उपस्थित नहीं हुआ है इसलिए निगरानीकर्ता की निगरानी सारहीन होने से सव्यय खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय करने से पूर्व प्रार्थना–पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा पट्टे में वर्णित जायदाद का एक भाग वर्ष 1987 में खरीद किया गया था। उस बेचान में निगरानीकर्ता के पिता हनुमानसिंह द्वारा साख डाली गई जिससे स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता को उक्त जायदाद के बेचान की जानकारी वर्ष 1987 से हो गई थी। इसके पश्चात् अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा निगरानीधीन पट्टे में वर्णित आराजी का दूसरा भाग वर्ष 2004 में खरीद किया गया था एवं उस पर गट्टर निर्माण हेतु ग्राम पंचायत से अनुमति लेकर निर्माण करवाया गया था। पड़ौसी होने के नाते निगरानीकर्ता को उक्त समस्त तथ्यों की जानकारी होना भलीभांति प्रतीत होता है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में जो तथ्य बतलाये गये है जो सन्तोषप्रद नहीं होने से स्वीकार करने योग्य नहीं है।

द्वितीयतः निगरानीकर्ता ने पंचायत निगरानी में बतलाया कि उक्त आराजी उसकी पुश्तैनी व कब्जाशुदा है लेकिन दौराने बहस उसके द्वारा रजिस्टर्ड बेचाननामा पेश कर बतलाया गया कि उक्त आराजी उसके पिता हनुमानसिंह द्वारा खरीद की गई थी। उक्त दोनों तथ्य अपने आप में विरोधाभास प्रकट करते हैं तथा निगरानीकर्ता द्वारा जो रजिस्टर्ड बेचाननामा प्रस्तुत किया गया है उसके आस–पड़ौस विवादित आराजी से भिन्न प्रतीत होते है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी के साथ अपने कब्जे के संबंध में काई दस्तावेज एवं

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2025.02.24 10:46:32 IST
Reason: SelfAttested

पंचायत निगरानी संख्या 01 / 2025
जीसीएमएस नम्बर :– 2025 / 5

फोटोग्राफ्स पेश नहीं किये गये जिससे निगरानीकर्ता का विवादित आराजी पर कब्जा साबित होता है। निगरानीकर्ता द्वारा उक्त निगरानी स्वच्छ हाथों से पेश नहीं की गई है। निगरानीकर्ता की उक्त निगरानी मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में उक्त न्यायिक दृष्टान्त ग्राह्य योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी की निगरानी मियाद बाहर होने से निरस्त की जाती है। पंचायत निगरानी में दिनांक 13.08.2024 को पारित स्थगन आदेश भी निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति मूल अभिलेख के साथ ग्राम पंचायत को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 30.01.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2025.02.24 10:46:32 IST
Reason: SelfAttested